



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA
परिसर अनुभाग PREMISES SECTION
कोच्ची KOCHI - 682018

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/एस्टेट/9/25-26/ईटी/381
तीसरी मंजिल, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में सम्मेलन कक्ष के लिए नई
कार्यकारी सम्मेलन मेज़ का प्रावधान

को जारी निविदा Tender Issued To:

निविदाकार का नाम Name of Tenderer: _____

पता Address: _____

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : अगस्त 11, 2025 को 14:00 बजे तक या उससे पूर्व
Last date for submission: on or before 14.00 hrs. on August 11, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA
परिसर अनुभाग PREMISES SECTION
कोच्ची KOCHI - 682018

**तीसरी मंजिल, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में सम्मेलन कक्ष के लिए नई
कार्यकारी सम्मेलन मेज़ का प्रावधान**
नियम, शर्तें, तकनीकी विनिर्देश और मात्राओं की अनुसूची

क No.	सूचकांक /INDEX	पृष्ठ सं/ . PAGE NOS.
1	प्रस्ताव का पत्र Letter of offer	03
2	करार की शर्तें Articles of Agreement.	05
3	Important Instructions Regarding E-tender	09
4	निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश General Instructions to Tenderers	13
5	विशेष शर्तें Special conditions	20
6	आग और सुरक्षा संबंधी कूट Fire & safety codes	22
7	परिशिष्ट Appendix	24
8	सामग्री के लिए अनुमोदित ब्रांडों की सूची List of Approved brands for materials	25
9	ड्राइंग Drawing	27
10	मात्रा की अनुसूची के लिए नोट्स(मूल्य बिड) Notes for Schedule of Quantities (Price Bid)	29
11	मूल्य बिड Price Bid	30

प्रस्ताव का पत्र / LETTER OF OFFER

सेवा में/ To

तारीख / Date:

स्थान / Place:

श्री टी वी राव / Shri T V RAO
मुख्य महाप्रबंधक/ Chief General Manager
भारतीय रिज़र्व बैंक/ Reserve Bank of India,
कोच्ची/ Kochi – 682018

Sir,

इसके बाद ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और ड्राइंग की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/ हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को अनुसूची में उल्लिखित दरों पर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित करने का प्रस्ताव करते हैं

(ख) निविदा की शर्तों, करार के अंतरनियमों, विशेष शर्तों, संविदा की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ, जो ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हों, अन्य सभी प्रकार से और अन्य सभी प्रकार से उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइनों और अनुदेशों के अनुसार सभी प्रकार से मात्राओं और लिखित रूप में सभी प्रकार से संबंधित हैं।

ज्ञापन/ MEMORANDUM

(क)	कार्यों का विवरण/ Name of work	तीसरी मंजिल, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची में सम्मेलन कक्ष के लिए नई कार्यकारी सम्मेलन मेज़ का प्रावधान
(ख)	भुगतान की शर्तें/ Terms of Payment	सामान्य निर्देशों के खंड 23 और परिशिष्ट के अनुसार/ As per clause 23 of the General instructions and Appendix.
(ग)	कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय/ Time allowed for completion of work	15 days from the date of issue of work order
(घ)	अनुमानित लागत/ Estimated Cost	रु 8.10 लाख. जीएसटी समेत/Rs 8.10 lakh inclusive of GST
(ङ)	अग्रिम धन जमा (ईएमडी)/ Earnest Money Deposit (EMD)	ईएमडी की आवश्यकता नहीं है

यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा अनुबंध की उक्त शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या चूक में भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जप्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

हमारे बैंकों के ब्योरे निम्नानुसार हैं/ Our Bankers are:

i)

ii)

भवदीय/ Yours faithfully,
संविदाकार के हस्ताक्षर/ Signature of the Tenderer

करार की शर्तें/ ARTICLES OF AGREEMENT

-----के ----- दिन पर करार की शर्तें एक पार्टी भारतीय रिज़र्व बैंक (यहाँ इसके बाद जिसे "नियोक्ता" कहा गया है) और दूसरी पार्टी ----- (यहाँ इसके बाद जिसे "संविदाकार" कहा गया है) के बीच निर्धारित की गई हैं।

ARTICLES OF AGREEMENT made the----- day of-----, between the Reserve Bank of India (hereinafter called the Employer) of the one part and ----- (hereinafter called "the contractor") of the other part.

WHEREAS the Employer is desirous of taking up the work of **Provision of New Executive Conference Table for Conference Room at 3rd floor, Office Building, Reserve Bank of India, Kochi** and has prepared Bill of Quantities, drawings showing and describing the work to be done under the direction of Bank's Engineer.

और जबकि विनिर्देशों, मात्रा – अनुसूची पर अब से पार्टियों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किये गये हैं।

AND WHEREAS the specifications and the schedule of Quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और जब कि संविदाकार ने इसमें घोषित शर्तों के अधीन और विशेष शर्तों में बताई गई शर्तों और मात्रा अनुसूची और संविदा की यथा संशोधित और दोनों पार्टियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों (उन सभी को यहाँ इसके बाद सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) पर ऊपर उक्त रेखाचित्रों में दर्शाये गये और/अथवा उक्त विनिर्देशों में वर्णित और उसमें घोषित संबंधित दरों पर मात्रा अनुसूची में शामिल करके निकाली हुई राशि और ऐसी अन्य राशि पर जो उसके अंतर्गत भुगतान योग्य होगी (यहाँ इसके बाद जिसे "उक्त संविदा राशि" कहा गया है) कार्य का निष्पादन करने की सहमति प्रदान की है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon and subject to the conditions set forth in the conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the work shown upon or described in the said Specifications and included in the Schedule of Quantities in the respective rates therein set forth amounting the sum as therein arrived or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said contractor amount").

अब इसके द्वारा निम्नानुसार यह सहमति हुई है/ NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:-

1. उक्त शर्तों में बताई गई विधि और समय-समय पर भुगतान की जाने वाली उक्त संविदा राशि को ध्यान में रखते हुए संविदाकार उक्त शर्त पर और शर्त के अधीन ऊपर दर्शाए गए रेखाचित्रों और उक्त विशेष विवरणों तथा मात्रा- अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूर्ण करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor will upon and subject to the conditions

annexed carry out and complete the work shown upon the contract drawings and described by or referred to in the Schedule of Quantities and in the said conditions.

2. नियोक्ता संविदाकार को उक्त संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो समय-समय पर और उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट विधि से भुगतान योग्य होगी।

The Employer will pay the Contractor the said contract Amount, or such sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said conditions.

3. उक्त शर्तें और संबंधित परिशिष्ट इस करार के भाग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे और उस संदर्भ में पार्टियाँ अब से इसमें निहित उक्त शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी, उनके प्रति अपने आपको समर्पित करेगी तथा अपनी-अपनी ओर से करारों का निष्पादन करेगी।

The said Conditions and Appendix thereto and the correspondence attached hereto shall be read and constructed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and the correspondence and perform the agreement on their part respectively in the said Conditions and the correspondence contained.

4. उक्त नक्शे, करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज़ इस संविदा का आधार होंगे।

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this contract.

5. यह संविदा न तो एक एकमुश्त संविदा है और न ही एक मद वार उजरती काम है बल्कि यह एक ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत उक्त कार्य पूरा करना है और उसके लिए दरों की अनुसूची में निहित दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों पर वास्तविक रूप से मापी गई मात्राओं अथवा उक्त शर्तों में यथा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जाना है।

This contract is neither a fixed Lump sum Contract nor a Piece Work Contract, but it is a Contract for the complete work to be paid for according to actual quantities at the rates contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the said Conditions.

6. संविदाकार उक्त शर्तों में निर्धारित की गई विधि से सिविल कार्यों और अनुषंगी कार्यों से संबंधित समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसा कार्य पूर्ण होने के बाद दीवारों, फर्श, इत्यादि को हुई किसी प्रकार की क्षति को ठीक कराएगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works or other Contractors appointed by the Employer and shall make good any damages done to walls, floors, etc. after the completion of such works.

7. नियोक्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य की किसी मद को जोड़ कर अथवा हटा कर उसके रेखाचित्र और कार्य के प्रकार में परिवर्तन कर दे अथवा उसके भागों को पूर्ण करवा ले। तथापि, ठेकेदार निविदा राशि से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे, जब तक बैंक के इंजीनियर द्वारा विशेष रूप से लिखित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है।

The Employer reserves to itself the right of altering the items to be executed by adding to or omitting any items without prejudice to this contract. However, the Contractor shall not be entitled to any payment for the works done exceeding the Tender Quantities unless specifically approved in writing by the Bank's Engineer.

8. समय को इस अनुबंध का सार माना जाएगा और ठेकेदार एतद्वारा उक्त शर्तों में प्रदान किए गए कार्य आदेश जारी करने के दिन काम / नौकरी शुरू करने और 15 दिनों के भीतर पूरे काम को पूरा करने के लिए सहमत है। इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल कोच्चि में किए जाएंगे। Time shall be considered as the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work/job **on the day** of issue of work order as provided for in the said conditions and to complete the entire work **within 15 days**. All payments by the Employer under this Contract will be made only at **Kochi**.

9. इस करार से उत्पन्न अथवा किसी भी प्रकार से इससे संबंधित सभी विवादों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम में उठे हैं और उनके संबंध में निर्णय के लिए केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालय ही न्यायक्षेत्र होंगे।

All disputes arising out of or in any way connected with this Agreement shall be deemed to have arisen at **Kochi** and only Courts in **Kochi** shall have the jurisdiction to determine the same.

10. यह कि संविदाकार द्वारा इस संविदा के विभिन्न भागों को पढ़ा गया है और उन्हें संविदाकार द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this agreement have been read by the contractor and fully understood by the contractor.

जिसकी साक्षी में नियेक्ता और संविदाकार ने यहाँ ऊपर पहले लिखित दिन और वर्ष को इन विलेखों और इसकी दो अनुलिपियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। (यदि संविदाकार एक भागीदारी अथवा एक वैयक्तिक फर्म है)

IN WITNESS WHEREOF the Bank and the contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

(If the contractor is a partnership or an individual)

हस्ताक्षर क्लॉज / Signature Clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची द्वारा निम्नलिखित के हाथ से हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

श्री/ Shri.-----

(नाम और पदनाम)/ (Name & Designation)

निम्नलिखित की उपस्थिति में यदि पार्टी एक भागीदारी फर्म है-----

----- अथवा एक वैयक्तिक फर्म है/

निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया।

SIGNED AND DELIVERED by Contractor-----
-----If the party is a partnership
firm or an individual should be signed by all or on behalf of all the partners.

ई-टेंडर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) **पंजीकरण** : इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई - प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है , जो निःशुल्क है । पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं । तकनीकी - व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर ही लगाई जाएगी । विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए । विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े किसी पी.सी. से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है । (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन प्रस्तुत (संस्करण 3)

1) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है ।

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएँ । अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएँ।

विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से (ई - टेंडर के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें ।

सम्पर्क करने का विवरण:

विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर: 07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)

उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

a) संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी)

1. श्री वी. गणेश मूर्ति (मुख्य प्रबंधक) 9176616410 (bmtvcmstc@mstcindia.in)
2. श्री सिद्धार्थ कृष्णन (प्रबंधक) 9867566097 (tvcopn2@mstcindia.in)
3. श्री संतोष कुमार राजेंद्रन (प्रबंधक) 8884600700 (tvcopn3@mstcindia.in)
4. श्री अंकुर प्रसाद (प्रबंधक) 9874777668 (tvcopn1@mstcindia.in)
5. श्रीमती सजिनी रघुनाथन (उप प्रबंधक) 9400118353 (tvcopn4@mstcindia.in)
6. श्री रवीन्द्र माचेरला (उप प्रबंधक) 9048826888 (tvcfm1@mstcindia.in)

b) आरबीआई (आरओ/टीई) में संपर्क व्यक्ति

7. श्री. रिशु वी सिंह (एएम-टेक.) 9867720817 (rishuvsingh@rbi.org.in)
8. श्री. नितिन नाग पुन्नशेट्टी (मार्गदर्शक) 9597364319 (nithinnag@rbi.org.in)
9. श्रीमती विनीता वी (एएम) 9747207776 (vvineetha@rbi.org.in)
10. श्रीमती. गोपिका एसवी (जेई) 8281164791 (svgopika@rbi.org.in)

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

<https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है।

लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट : विक्रेताओं को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के खिलाफ / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट : बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

निविदाओं/शुद्धिपत्रों की जानकारी निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदा के अंतिम रूप देने तक, केवल ईमेल द्वारा ही भेजी जाएगी। इसलिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी लिमिटेड

में पंजीकरण के समय उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

ई-निविदा में बोली:

नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "मेरा" मेनू में "दस्तावेज़ अपलोड करें" लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता संबंधित ई-टेंडर के साथ "दस्तावेज़ संलग्न करें" लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई-टेंडर के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें RBI द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

- a) बोलीदाताओं को ई-टेंडर के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-टेंडर शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग-अलग जमाकरना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है तो वह वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।
- b) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क- > सामान्य शर्तें- > दस्तावेज़ संलग्न करें- < मूल्य बोली पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी टेक्नो कमर्शियल बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और अग्रिम राशि (ईएमडी) का विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विक्रेता के लॉगिन में दस्तावेज़ संलग्न करें और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, विक्रेता लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेज सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा कर सकेंगे या मूल्य बोली जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। यदि दस्तावेज़ संलग्न करने और/या सामान्य शर्तें सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के टैब अक्षम हो जाएंगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित होगी।

- a) सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (यदि कोई हो) भरकर उसे सेव करना होगा । फिर विक्रेता को तकनीकी -वाणिज्यिक बोली भरनी होगी । तकनीकी - वाणिज्यिक बोली भरने के बाद , बोलीदाता को अपनी तकनीकी -वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव पर ' क्लिक करना होगा । ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव पर क्लिक करना होगा । "फिर, तकनीकी -वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक कर सकता है। "

टिप्पणी - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद, "बोली हटाएँ " विकल्प दिखाई देगा । यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और बोली पुनः सबमिट करना चाहता है, तो उसे " बोली हटाएँ" पर क्लिक करके उसे पुनः सबमिट करना होगा और फिर से "अंतिम सबमिशन" पर क्लिक करना होगा ।

- क) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए ।
- b) संपूर्ण ई -निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे ।
- c) ई निविदा मंच पूर्व -घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा ।
- d) ई -निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी । किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और / क्रेता द्वारा उसे स्वीकार करने पर क्रेता और बोलीदाता के बीच आपूर्तिकार्य के निष्पादन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध स्थापित हो जाएगा । ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा ।
- e) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- f) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- g) निविदा दस्तावेज़ -के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है । किसी भी बोलीदाता द्वारा ई -निविदा प्रक्रिया में बोली प्रस्तुत करना, ई -निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है ।
- h) माप की इकाई)यूओएम (ई -टेंडर फ्लोर में दर्शाई गई है - । उद्धृत की जाने वाली दर ई टेंडर फ्लोर /निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए ।

ठेकेदार के के लिए सामान्य अनुदेश

निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्दिष्ट पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार पात्र बोलीदाताओं से “ **भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि, कार्यालय भवन, तीसरी मंजिल पर सम्मेलन कक्ष के लिए नई कार्यकारी सम्मेलन टेबल का प्रावधान** ” के लिए प्रतिस्पर्धी ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागत ₹8.10 लाख (जीएसटी सहित) है। कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।

1. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ही निविदा प्रस्तुत करें, और किसी भी प्रकार का विचलन न रखें। यदि निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने से मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसे उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदा बैंक के विवेक पर अस्वीकार की जा सकती है। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और स्थल की स्थितियों से स्वयं को परिचित कर लें। जाँच के बाद, यदि किसी भी बोलीदाता में अपेक्षित योग्यताएँ नहीं पाई जाती हैं, तो बैंक द्वारा उनकी निविदाएँ आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार नहीं की जाएँगी।
2. निविदा उसी तिथि या अगले कार्यदिवस को अपराह्न 3 बजे उसी समय महाप्रबंधक, कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि या उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के कार्यालय में निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, यदि वे उपस्थित रहना चाहें। **निविदाएँ बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुलने की तिथि से तीन महीने की अवधि तक वैध रहेंगी, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेगा।**
3. निविदाकर्ता को दरें भरने के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का ही उपयोग करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा फॉर्म के पाठ में किया गया कोई भी परिवर्धन/परिवर्तन मान्य नहीं होगा और उसे अमान्य माना जाएगा।
4. निर्दिष्ट स्तंभों में सभी मदों के लिए दरें अंकों और शब्दों दोनों में मात्राओं की अनुसूची में उद्धृत की जानी चाहिए। निविदा भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तन निविदाकर्ता के आद्याक्षरों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। अंकों में ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विकल्प पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा खुलने के बाद, विशेष रूप से दर, विनिर्देशों या शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ताकि वे अनुबंध की सामान्य शर्तों, सामान्य विनिर्देशों, विशेष शर्तों आदि से परिचित हो सकें। बिना हस्ताक्षर वाले किसी भी दस्तावेज़ वाली निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी साझेदारों या किसी ऐसे साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक प्राधिकार हो, या कंपनी के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति द्वारा। अन्यथा, बैंक निविदा को अस्वीकार कर सकता है।
7. **दोष दायित्व अवधि** 12 महीने होगी इसके सफल समापन के बाद। यदि ठेकेदार "दोष दायित्व अवधि" के दौरान उत्पन्न दोषों को उचित अवधि के भीतर ठीक करने में विफल रहता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि वह आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहता है या उसका उत्तर संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो सुधार की लागत (अनुबंध मूल्य के 5% तक) बैंक द्वारा किसी अन्य अनुबंध के लिए बैंक को देय किसी भी अन्य राशि से समायोजित की जाएगी।
8. भारतीय रिज़र्व बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा किसी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार निविदा में उल्लिखित कार्य को दो या अधिक ठेकेदारों के बीच उप-विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को उनके पास दिए गए कार्यों के कुछ भाग के लिए उद्धृत दरों पर आदेश निष्पादित करने होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक आदेश दिए जाने के बाद मात्रा बढ़ाने या घटाने और कार्य के किसी भी भाग को छोड़ने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार को उसे निष्पादित करना होगा। इस संदर्भ में, प्रत्येक वस्तु के लिए उद्धृत दरें आत्मनिर्भर और प्रासंगिक होनी चाहिए।
10. नियोक्ता से अपनी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा और उसके **सात दिनों के भीतर**, सफल निविदाकर्ता मसौदा अनुबंध और शर्तों की अनुसूची के अनुसार **स्टाम्प पेपर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा**, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति/फर्म के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक अनुबंध बाद में निष्पादित हो या न हो। अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टाम्प पेपर की लागत सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
11. ठेकेदार अनुबंध को किसी और को नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के किसी भी हिस्से को उप-किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, नियोक्ता ठेकेदार को अनुबंध रद्द करने का लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके बाद देय भुगतान नियोक्ता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, और ठेकेदार के विरुद्ध उसके अन्य उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
12. ठेकेदार को सभी कार्य बैंक इंजीनियर के विवरण, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार ही करने होंगे। यदि बैंक इंजीनियर की राय में डिज़ाइन में परिवर्तन करना आवश्यक हो और नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ठेकेदार को ऐसा करना होगा। ऐसे मामलों में बैंक इंजीनियर का निर्णय अंतिम होगा।
13. प्रत्येक कार्य और विनिर्देशों के संबंध में संभावित मात्राओं की एक अनुसूची संलग्न है। संभावित मात्राओं की इस अनुसूची में बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक निविदा में न केवल दरें, बल्कि कार्य की प्रत्येक वस्तु का मूल्य भी एक अलग कॉलम में दर्ज किया

जाना चाहिए और विभिन्न मदों के लिए उद्धृत सभी राशियों का योग किया जाना चाहिए ताकि संपूर्ण निविदा का कुल मूल्य प्रदर्शित हो सके।

14. निविदाकर्ता को स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर तथा अपने खर्च पर वह सभी सूचनाएं प्राप्त करनी होंगी जो निविदा बनाने तथा अनुबंध करने के लिए आवश्यक हों तथा उसे चित्रों की जांच करनी होगी, कार्य स्थल का निरीक्षण करना होगा, सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति तथा उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को परिचित करना होगा।
15. निविदा में उद्धृत दरों में पैकिंग, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग और कार्यस्थल पर डिलीवरी/निष्पादन के सभी शुल्क शामिल होंगे। दरें भी स्थिर होंगी और विनिमय दरों में बदलाव, श्रम शर्तों, रेलवे भाड़े में उतार-चढ़ाव या किसी भी अन्य शर्त के अधीन नहीं होंगी। **निविदाकर्ताओं को जीएसटी को छोड़कर दरें उद्धृत करनी होंगी** और लागू जीएसटी निविदा की मात्रा अनुसूची में उपलब्ध निर्दिष्ट कॉलम में अलग से दर्शाया जाएगा। टीडीएस आदि के लिए आवश्यक कटौती ठेकेदार के बिल से की जाएगी।
16. ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, निविदा पूरी तरह से मद दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक मद की दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ लगभग कार्य की कुल सीमा दर्शाती हैं, लेकिन इनमें किसी भी सीमा तक भिन्नता हो सकती है और इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य बदल सकता है।
17. जहाँ कहीं भी सामग्री की मूल दर निर्दिष्ट की गई हो, ठेकेदार को भुगतान किए गए बिल सत्यापन के लिए बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। **ऐसी सामग्री खरीदने से पहले, सामग्री के नमूने और उसकी क्रय दर बैंक के इंजीनियर से अनुमोदित करवानी होगी।** सामग्री की कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा के आधार पर किया जाएगा। लागत के अंतर पर कोई अतिरिक्त व्यय और लाभ नहीं माना जाएगा। मूल कीमतों में सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा लगाए गए सभी कर शामिल हैं।
18. कार्य पूरा करने के लिए **15 दिनों की समय सीमा है** जिसका निविदाकर्ता को कड़ाई से पालन करना होगा और इसकी गणना कार्य प्रारंभ करने के लिखित आदेश जारी होने के दसवें दिन से की जाएगी। अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता से किया जाएगा और यदि ठेकेदार अनुबंध में निर्धारित तिथि तक या संबंधित खंड के तहत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप से प्रमाणित करता है कि उसकी राय में कार्य उचित रूप से पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए **"परिसमाप्त क्षति"** नामक राशि का भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है। **परिसमाप्त क्षति की वसूली अनुमानित लागत के 0.25% की दर से की जाएगी। प्रति सप्ताह।**
19. ठेकेदार कार्य शुरू करने या उसे पूरा करने में हुई देरी के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे देरी का कारण कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे संबंधित किसी उप-अनुबंध में हुई देरी, परियोजना के अन्य व्यवसायों के लिए ठेके देने में देरी, ऐसे कार्यों के शुरू या पूरा होने में देरी, सरकारी नियंत्रण वाली या अन्य निर्माण सामग्री की खरीद में देरी, निर्माण कार्य के लिए पानी और बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में देरी

या किसी भी अन्य कारण से हुई देरी शामिल है और नियोक्ता इसके संबंध में किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए दायित्व स्वीकार नहीं करता है, बशर्ते कि इसमें दिए गए परिवर्तनों के अधीन हो।

20. सफल निविदाकर्ता कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी या सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बाध्य है, भले ही वे कार्य मात्रा और दरों में शामिल न हों। नियोक्ता ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं और उनकी मात्रा के संबंध में लिखित रूप में अनुदेशों की अनुसूची जारी करेगा।
21. कोई भी दोष या गलती जो अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कार्य/या आपूर्ति और स्थापना के पूर्ण रूप से वास्तविक समापन की तारीख से **12 महीनों के दौरान दिखाई दे सकती है**, जो बैंक के इंजीनियर की राय में अनुबंध के अनुसार सामग्री या कारीगरी के कारण उत्पन्न होती है, बैंक के इंजीनियर के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और चूक के मामले में बैंक ऐसे दोषों/त्रुटियों को सुधारने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप या इसके लिए प्रासंगिक क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा और वहन किया जाएगा और ऐसे नुकसान, हानि और व्यय बैंक द्वारा उससे वसूल किए जा सकेंगे, या बैंक के इंजीनियरों के लिखित प्रमाण पत्र पर बैंक द्वारा किसी भी देय राशि से कटौती की जा सकती है
22. समय अनुबंध का सार है। पूरा कार्य **कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है**। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह निविदा देने से पहले कार्यस्थल का दौरा करें और सामान्य तथा स्थानीय परिस्थितियों, विशेष रूप से परिवहन, संचालन, भंडारण आदि से संबंधित परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हो लें। कार्य के लिए आवश्यक सामग्री **बैंक के कोच्ची स्थित कार्यालय** में पहुँचाई और निष्पादित की जानी होगी।

प्रथम एवं अंतिम बिल के रूप में किया जाएगा।

24. ठेकेदार को निविदा में ऊपर और अन्यत्र उल्लिखित सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए मात्रा अनुसूची में दरें उद्धृत करनी चाहिए।
25. ठेकेदार, स्वयं या किसी नामित उप-ठेकेदार के कर्मचारियों के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न होने वाली किसी भी व्यक्ति या वस्तु को होने वाली चोट और संपत्ति को होने वाली सभी संरचनात्मक व सजावटी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या अनुबंध के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न हुई हो। इस खंड में, अन्य बातों के साथ-साथ, इमारतों को होने वाली किसी भी क्षति, चाहे वे निकटवर्ती हों या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाली क्षति, साथ ही इस अनुबंध के विषय बनने वाली इमारतों और कार्यों को पाले या मौसम की अन्य प्रतिकूलता के कारण होने वाली सभी क्षति शामिल मानी जाएगी। ठेकेदार, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को हुई चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी व्यय के संबंध में, और किसी सरकारी अधिनियम या अन्यथा के तहत चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के संबंध में और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी अधिनिर्णय के संबंध में उसे निर्दोष मानेगा।

ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम से निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों को प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा (अनुबंध के

वास्तविक समापन तक), जिसमें नियोक्ता प्रथम (प्रधान) होगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

a) कामगार मुआवज़ा नीति। b) CAR नीति c) तृतीय पक्ष नीति

26. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा : अनुबंध या कार्यों के संचालन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक को भेजे जाएंगे और उसके द्वारा निपटाए जाएंगे, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील रहित होगा। लेकिन यदि ठेकेदार किसी मामले पर असंतुष्ट है तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस दे सकता है कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं और जिनके बारे में ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। दोनों पक्षों द्वारा नामित मध्यस्थ, तीसरे मध्यस्थ या निर्णायक के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करने की शक्ति होगी, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ दर्ज करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित अतिरिक्त समय के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा या समझौता कर लेते हैं, तो पक्षकारों द्वारा समझौते या समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ऐसे समझौते या समझौते के अनुसार निर्णय सुनाएगा।

ऐसे किसी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट से संबंधित लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पक्षकार और पक्षकार के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं और निर्देश देंगे कि उसे किसके द्वारा, किसको और किस तरीके से वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी। मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय दिए जाने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के

वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा।

27. ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढाँचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास या उसकी जानकारी में आए, किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से पूरे हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या किसी भी कारण से समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

28. (i) ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा।

(ii) ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित सभी मजदूरों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। ठेकेदार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने प्रदत्त कार्य/कार्य/परियोजना को पूरा करने के लिए अपने द्वारा नियोजित सभी प्रकार के सभी मजदूरों की सभी देय राशि का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं किया है और उसने ठेका श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में सीएलआरए अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है। इसके अलावा, वह ऐसे प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच और प्रमाणन के लिए बैंक के प्रतिनिधि की सहायता ले सकता है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने ठेकेदारों को दिए गए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम और पता:

विशेष शर्तें

1. कामगारों को परिसर के अन्दर रहने की अनुमति नहीं होगी।
2. कार्य हेतु आवश्यक जल एवं विद्युत शक्ति कार्यस्थल पर उपलब्ध स्रोतों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। ठेकेदार को कार्य हेतु इनकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
3. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, यदि वे चाहें तो, ठेकेदार के कार्यों में किसी भी समय सामग्री/निर्माण का निरीक्षण करने के हकदार होंगे और ठेकेदार ऐसा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।
4. इच्छुक निविदाकर्ता निविदा, निविदा प्रावधानों/विनिर्देशों आदि के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, महाप्रबंधक (कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, बनर्जी रोड, कोच्ची - 682018 के कार्यालय से किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
5. निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि कार्य बैंक के अधिभोगित आवासीय परिसर में किया जाना है, अतः सम्पूर्ण कार्य अधिभोगियों को न्यूनतम परेशानी पहुंचाते हुए किया जाएगा।
6. कार्य के लिए समस्त सामग्री निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी पहुंचाए बिना कार्य क्षेत्र में लाई जाएगी।
7. ठेकेदार को कार्य के दौरान वाहनों के आवागमन के लिए अस्थायी बैरिकेड आदि बनाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी होगी और पूरे फ्लैट के मौजूदा फर्श को ढकने के लिए तिरपाल जैसी सामग्री का प्रबंध करना होगा। यदि नवीनीकरण कार्य के दौरान साइट पर मौजूदा विट्रिफाइड फर्श को कोई नुकसान होता है, तो ठेकेदार को अपने खर्चे पर फ्लैट के फर्श को बदलना होगा ।
8. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबा/धूल या किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को आवश्यकतानुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार बार-बार साफ किया जाएगा और पूरे परिसर को, जिसमें उपरोक्त कार्य में श्रमिकों द्वारा प्रभावित/प्रयुक्त सड़कें भी शामिल हैं, बैंक के इंजीनियरों की संतुष्टि के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त लागत के, प्रतिदिन साफ/स्वच्छ किया जाएगा । संपूर्ण मलबा/अपशिष्ट सामग्री बैंक के क्वार्टर परिसर से बाहर ले जाई जाएगी और उसे बैंक परिसर में या उसके आसपास कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए। यदि स्थानीय निगम द्वारा कोई मलबा देखा जाता है और जुर्माना लगाया जाता है, तो इसके लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
9. निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि संबंधित कार्य बैंक के कर्मचारियों को कम से कम परेशानी पहुंचाते हुए, पूर्व योजना बनाकर और बैंक के इंजीनियर के परामर्श से कार्य के उचित क्रम का पालन करते हुए किया जाना है। प्रवेश मार्ग और कर्मचारियों व सामग्री की आवाजाही बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सुरक्षा नियमों और आवश्यक अनुमति/पास के अधीन होगी। कार्य निर्धारित समय सीमा

के भीतर पूरा करना होगा और किसी भी परिस्थिति में देर से कार्य करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा। धूल और शोर उत्पन्न करने वाले सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए।

10. ठेकेदार को आवश्यक सुरक्षा उपाय, बैरिकेडिंग आदि प्रदान करके कार्य करते समय साइट पर श्रमिकों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

11. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह कार्य के दायरे को समझने के लिए प्रस्तावित नवीकरण स्थल का निरीक्षण करें।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम और पता:

अग्नि और सुरक्षा संबंधित कूट

अग्नि एवं सुरक्षा संहिताएँ

1. प्राथमिक उपचार उपकरणों, जिनमें पर्याप्त मात्रा में रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई शामिल है, को आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर रखा जाएगा।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. उन सभी कार्यों के लिए कामगारों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिन्हें जमीन/फर्श से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता।
4. किसी भी पोर्टेबल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए (स्पष्ट) और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय, सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. भवन के फर्श या कार्य मंच के प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाई जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
6. कार्य में प्रयुक्त उत्पादक मशीनें और उपकरण, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित, उत्तम स्थिति में होने चाहिए।
7. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाली तथा दोष रहित होनी चाहिए।

अग्नि सुरक्षा कोड

- i. कार्यस्थल पर उपयोग की जाने वाली कटिंग/ड्रिलिंग/वेल्डिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
- ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों का ही उपयोग किया जाएगा।
- iii. प्रयुक्त विद्युत पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए तथा उनका उचित मूल्यांकन होना चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से पृथ्वी से जोड़ा जाना चाहिए।
- v. किसी भी दिन पहली बार कार्य शुरू करने से पहले इंजीनियरों को सूचित किया जाएगा और उनके द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद ही कार्य शुरू किया जाएगा।
- vi. साइट पर आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर पानी और रेत की दो बाल्टियाँ रखी जाएंगी।
- vii. अनुशंसित अग्निशामक यंत्र साइट पर रखे जाएंगे।
- viii. कार्य की आवश्यकता के आधार पर ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाव के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर मास्क, कान प्लग आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

- ix. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और कामगारों द्वारा जमीन से 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय इसका उपयोग किया जाएगा।
- x. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xi. जब उपकरण उपयोग में न हो तो मुख्य स्रोत से विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
- xii. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xiii. कार्यालय समय के बाद काम करने वाले श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक: नाम और पता:

परिशिष्ट

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1. दोष दायित्व अवधि	आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 12 महीने।
2. अंतिम माप की अवधि	कार्य पूर्ण होने की तिथि से 21 दिन।
3. प्रारंभ की तिथि	कार्य सौंपे जाने की तिथि से
4. समापन की तिथि	कार्य आदेश जारी होने के दिन से 15 दिन ।
5. परिसमाप्त क्षति	प्रति सप्ताह अनुमानित लागत का 0.25%.
6. अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए कार्य का न्यूनतम मूल्य	केवल प्रथम एवं अंतिम बिल
7. अवधारण प्रतिशत	5%
8. आरएमडी का विमोचन	दोष दायित्व अवधि पूरी होने पर।
9. अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि	एक माह
10. विलंबित भुगतान पर ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

नाम और पता:

सामग्री के के लिए एपी : की सूची

सूची का सामग्री का अनुमत ब्रांड सामग्री

क्र	सामग्री	बनाना
1	सीमेंट	एसीसी, अल्ट्राटेक, कोरामंडल , बिड़ला , अंबुजा या अनुमत समकक्ष।
2	सफ़ेद सीमेंट	बिड़ला सफ़ेद, जेके सफ़ेद या अनुमत समकक्ष
3	समुद्री प्लाईवुड/लिबास	किटप्लाई , सेंचुरी, नेशनल/ ग्रीन /एंकर/ ड्यूरो या अनुमोदित समकक्ष
4	टुकड़े टुकड़े में	ग्रीनलैम , फॉर्मिका, डेकोलम , सनडेक, किटलम , शतक, या अनुमोदित समकक्ष।
5	चिपकने वाले पदार्थ (सिंथेटिक रेज़िन)चिपकने वाला)	फेविकोल एसएच, अरालडाइट, मोविकोल एचवी ऑफ मफतलाल, बाल एंडुरा या अनुमोदित समकक्ष
6	काँच	मोदी गार्ड, सेंट गोबेन , फ्लोट ग्लास इंडिया (असाही) या स्वीकृत समकक्ष
7	ताले	गोदरेज, एनॉक्स , विजन/विजयन या अनुमत समकक्ष
8	शिकंजा (ऑक्सीकृत)	GKW, अतुल, हिल्टी, सुपर शिकंजा या अनुमत समकक्ष
9	हार्डवेयर	अर्ल बिहारी (ईबीसीओ), शालीमार, विजयन, हेटिच या अनुमोदित समकक्ष
10	हैंडल	गोदरेज, डोरमा या अनुमोदित समकक्ष
11	लकड़ी के पेंट/ प्राइमर्स/ थिनर/पॉलिश/प्रिजर्वेटिव वगैरह।	एशियाई पेंट लिमिटेड, आईसीआई लिमिटेड, जेनसन और निकोल्सन लिमिटेड, कंसाई नेरोलैक लिमिटेड, बर्जर लिमिटेड, या स्वीकृत समकक्ष
12	पानी प्रूफिंग रासायनिक	फॉसरोक / डॉ.फिक्सिट / पिडिलाइट / बीएसएसएफ या अनुमोदित समकक्ष
13	बीडब्ल्यूआर ग्रेड प्लाईवुड	सेंचुरी, ग्रीनप्लाई , किटप्लाई या अनुमोदित समकक्ष
14	Corian	ड्यूपॉन्ट कोरियन, मेरिनो, एलजी या अनुमोदित समकक्ष

15	एचडीएचएमआर बोर्ड	सेंचुरी, ग्रीनप्लाई या अनुमोदित समकक्ष
16	एल्यूमीनियम अनुभाग	हिंडाल्को/जिंदल या अनुमत समकक्ष
17	कालीन टाइलें	वेलस्पन या अनुमोदित समकक्ष
18	फ्लूटेड पैनल/डब्ल्यूपीसी	ईवुड या अनुमोदित समकक्ष
19	एसीपी वॉल पैनल	यूरोबॉन्ड, एलुकोबॉन्ड, एलुडेकोर , या स्वीकृत समकक्ष
20	अग्निरোধी पेंट	शालीमार, बर्जर या अनुमोदित समकक्ष

टिप्पणी:

क) उपर्युक्त अनुमोदित ब्रांडों के अलावा, बैंक के अनुमोदन से किसी अन्य समतुल्य ब्रांड का उपयोग किया जा सकता है।

(ख) ठेकेदार को कार्य में उपयोग करने से पहले बैंक की स्वीकृति के लिए 2-3 प्रकार के नमूने प्रस्तुत करने होंगे।

ग) कार्य में केवल बैंक द्वारा अनुमोदित सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा।

तारीख:

स्थान: हस्ताक्षर का ठेकेदार साथ मुहर

चित्रण



मात्राओं की अनुसूची के लिए नोट्स (मूल्य बोली)

1	मात्रा अनुसूची को विनिर्देशों, निविदा रेखाचित्रों और बोली दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाएगा। ठेकेदार केवल मात्रा अनुसूची में दिए गए विवरण पर निर्भर नहीं रहेगा।		
2	मात्रा अनुसूची में दर्शाई गई कार्य की मात्राएँ केवल अनुमानित हैं और बोली लगाने के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करने हेतु दी गई हैं। नवीनीकरण के लिए जारी अंतिम रेखाचित्रों में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार कार्य की वास्तविक मात्राएँ नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाएँगी। यदि कार्य की वास्तविक मात्राएँ या मदें यहाँ दर्शाई गई मात्राओं या मदों से भिन्न हैं, तो ठेकेदार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया हो। प्रभारी अभियंता कार्य के दौरान किसी भी समय निविदा के दायरे के किसी भी पहलू को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।		
4	उद्धृत मूल्य केवल भारतीय रुपए में होंगे।		
5	सभी वस्तुओं के लिए इकाई दरें प्रस्तुत की जाएँगी, और वे अनुबंध की संपूर्ण अवधि तथा किसी भी अनुमोदित विस्तारित अवधि के लिए स्थिर रहेंगी।		
6	प्रत्येक मद के लिए किए गए कार्य की मात्रा को मापा जाएगा तथा जहां लागू हो, वहां मात्रा अनुसूची में उल्लिखित दरों पर भुगतान किया जाएगा या अन्यथा ऐसी दरों और कीमतों पर भुगतान किया जाएगा, जो अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत तय की जा सकती हैं।		
7	बोलीदाता को अपनी दरों में उन अस्थायी कार्यों को छोड़कर, जिनके लिए मात्रा अनुसूची में विशिष्ट मदें प्रदान की गई हैं, कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी प्रकृति के सभी अस्थायी कार्यों के प्रावधान, रखरखाव और अंतिम निष्कासन की अनुमति दी गई मानी जाएगी।		
8	प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर इस प्रकार हैं:		
	मैं)	नहीं।	संख्या
	ii)	घन मीटर	घन मीटर
	iii)	वर्ग मीटर	वर्ग मीटर
	iv)	एम	मीटर
	वी)	रास	एकमुश्त राशि
	(vi)	मीट्रिक टन	मीट्रिक टन
	सातवीं)	किलोग्राम	किलोग्राम

भाग - II(मूल्य बिड)
भाग - II (मूल्य बोली)

सम्मेलन कक्ष के लिए नई कार्यकारी सम्मेलन मेज का प्रावधान
तीसरी मंजिल , कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

क्रम संख्या	कार्य का वर्णन	मात्रा	इकाई	दर ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)	राशि ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)
01	लगभग 8.30 मीटर लम्बी, दोनों छोर की चौड़ाई लगभग 2.05 मीटर, दोनों ओर लगभग 0.60 मीटर तथा केन्द्र में 0.85 मीटर की ऑफसेट तथा फर्श से शीर्ष स्तर तक 800-830 मिमी की सम्पूर्ण ऊंचाई वाली कार्यकारी प्रकार की कॉन्फ्रेंस टेबल उपलब्ध कराना, बनाना, लगाना/स्थापित करना, अन्य विवरण संलग्न ले-आउट योजना एवं वास्तुकला ड्राइंग के अनुसार। यह बॉक्स प्रकार के टेबल टॉप से बना होगा, जिसकी अनुमानित चौड़ाई 0.85 मीटर होगी, बीच में खोखलापन होगा, 25 मिमी मोटाई वाला आईएस 710 बीडब्ल्यूपी (उबलते पानी के सबूत) ग्रेड वाला टेबल टॉप होगा और आईएस 5509:2021 (ग्रीन, सेंचुरी, रॉयल या कोई अन्य अनुमोदित मेक) के नवीनतम संस्करण के अनुसार अग्निरোধी गुणों का अनुपालन करेगा, डिजाइन के अनुसार प्लाईवुड, आईएस 710 ग्रेड (ग्रीन, सेंचुरी, रॉयल या कोई अन्य अनुमोदित मेक) के 4 मिमी मोटे विनियर के साथ टेबल फ्रेम के दोनों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसमें टेबल टॉप और अनुमोदित शेड शामिल हैं और लगभग 80 मिमी x 30 मिमी या किसी अन्य अनुमोदित आकार के टेबल कॉर्नर मोल्डिंग को द्वितीय श्रेणी के सागौन की लकड़ी/प्लाईवुड में सभी तरफ सामने की तरफ और दोनों किनारों पर आधा गोल मिरर फिनिश के साथ प्रदान और फिक्स	1	काम		

क्रम संख्या	कार्य का वर्णन	मात्रा	इकाई	दर ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)	राशि ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)
	<p>किया जाएगा। टेबल का निचला, पार्श्व, मध्य, निचला बॉक्स, सभी टेबल फ्रेमिंग 25 मिमी IS 710 BWP ग्रेड (ग्रीन, सेंचुरी या अन्य स्वीकृत ब्रांड) प्लाई बोर्ड से बने होंगे, जिसके दोनों ओर IS 710 ग्रेड के स्वीकृत ब्रांड के 4.0 मिमी मोटे विनियर की फिनिशिंग होगी। केबल मैनेजर ट्रे बॉक्स प्रकार की होगी, जो IS 710 BWP ग्रेड के 16.00 मिमी मोटे प्लाईवुड से बनी होगी और दोनों ओर IS 710 ग्रेड के स्वीकृत ब्रांड के 3.0 मिमी मोटे विनियर से फिनिशिंग की गई होगी। संलग्न वास्तुशिल्प चित्र के अनुसार या बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार, इसका आकार लगभग 18 x 18 सेमी बॉक्स होगा। कार्य में प्लाईवुड और विनियर को आवश्यक कीलों, स्कू, चिपकाने वाले पदार्थों आदि से फ्रेम करना और लगाना शामिल होगा। यह सब बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा और उद्धृत दरों में सामग्री, परिवहन, हार्डवेयर आदि की लागत शामिल होगी। टेबलटॉप और अन्य सभी दृश्यमान क्षेत्र और केबल ट्रे के अंदर ड्यूपॉन्ट/मेरिनो हैनेक्स के कोरियन काउंटरटॉप या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम 6/8 मिमी मोटाई या किसी अन्य मोटाई/आकार के किसी अन्य अनुमोदित ब्रांड से फिनिश किया जाना चाहिए। जोड़े जाने वाले किनारे सीधे, चिकने और साफ होने चाहिए और कार्य में आर्किटेक्चरल ड्राइंग में उल्लिखित अंतराल पर आवश्यक आयाम के खांचे बनाना भी शामिल होगा। जोड़ केवल कोरियन शीट के लिए चिपकाने वाले पदार्थ से या निर्माता के विनिर्देश के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। कटआउट के सभी कोनों को 5 मिमी त्रिज्या तक गोल</p>				

क्रम संख्या	कार्य का वर्णन	मात्रा	इकाई	दर ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)	राशि ₹ में (जीएसटी को छोड़कर)
	<p>किया जाना चाहिए और किनारों को ऊपर और नीचे, कटआउट के चारों ओर, चिकना किया जाना चाहिए। "L" और "U" आकार के कोनों के लिए 5 मिमी त्रिज्या के चिकने अंदरूनी कोने की आवश्यकता होती है, यह सब बैंक के इंजीनियर/वास्तुकार के निर्देशानुसार पूरा किया जाना चाहिए। कार्य में बैंक के इंजीनियर/वास्तुकार के निर्देशानुसार संलग्न वास्तुशिल्पीय आरेखण के अनुसार विभिन्न पैटर्न या डिज़ाइन में मेज के मध्य भाग के चारों ओर लगभग 1 मिमी मोटाई का सजावटी लैमिनेट लगाना और लगाना भी शामिल होगा। कोरियन/मेरिनो हैनेक्स या किसी अन्य अनुमोदित ब्रांड की मूल कीमत ₹650/- प्रति वर्ग फुट होगी। एक्स-शोरूम कीमत करें को छोड़कर।</p> <p>नोट- कार्य में अनुमोदित मेक के लकड़ी परिरक्षक को उपलब्ध कराना और लगाना शामिल होगा तथा इसे सम्पूर्ण फ्रेम और अंदरूनी सतहों पर अंतिम परिष्करण कोरियन शीट लगाने से पहले ऊपरी विनियर सतह पर निर्माता के विनिर्देश के अनुसार लगाया जाएगा।</p> <p>उद्धृत दरों में बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुशंसित माइक, केबल क्यूबी यूनिट आदि लगाने के लिए साइट पर कोई भी संरचनात्मक संशोधन/कटआउट शामिल होगा।</p>				
उप-योग (ए): (₹)					
जीएसटी @18% (बी): (₹)					
कुल योग (ए) + (बी): (₹)					

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक: नाम और मुहर के साथ